बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (पटना) 02–101/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

श्री नंद किशोर प्रसाद निराला, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सम्पतचक, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–3001, दिनांक–24.11.2022 से प्राप्त आरोप पत्र में अनाधिकृत रूप से कार्यालय के अतिरिक्त गोपनीय कार्यालय खोलकर अवैध रूप से राजस्व कर्मचारी एवं कार्यपालक सहायक के मिलीभगत से अवैध राशि की वसूली करने, दाखिल–खारिज तथा परिमार्जन के मामलों का ससमय निष्पादन नहीं करने, नियम के विरूद्ध कार्रवाई करने जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये है।

2. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–1982(15), दिनांक–14.12.2022 द्वारा श्री निराला को निलंबित करते हुए मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया।

तदोपरान्त जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–3223/स्था0 दिनांक–16.12.2022 से विहित प्रपत्र में साक्ष्य सहित आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र में अंकित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–507(15) दिनांक–14.03.2023 द्वारा श्री निराला से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री निराला द्वारा दिनांक–17.03.2023 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री निराला को निलंबन मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालन करने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–1081(15) दिनांक–30.05.2023 द्वारा श्री निराला को निलंबन मुक्त किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0–1185(15) दिनांक–15.06.2023 के द्वारा श्री निराला के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, पटना को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक– 3811, दिनांक–05.07.2025 द्वारा श्री निराला के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री निराला के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन में आंशिक प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1038(15), दिनांक–11.06.20244 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन की माँग की गई, जिसके आलोक में श्री निराला का द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन दिनांक–19.06.2024 विभाग को प्राप्त हुआ।

4. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री निराला का द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री नंद किशोर प्रसाद निराला, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सम्पतचक, पटना **सम्प्रति सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 02(दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 15/आरोप (पटना) 02–101/2022–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक–3001/स्था0 दिनांक–24.11.2022 के प्रसंग में/समाहर्त्ता, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना एवं सुपौल/श्री नंद किशोर प्रसाद निराला, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 15/आरोप (पटना) 02–101/2022–......103.........(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...02/02/26

प्रतिलिपिः–माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री नंद किशोर प्रसाद निराला** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

02/02/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Nand kishore pd nirala (CO, sampatchak_patna)_संचयी प्रभाव के बिना 2.doc